All India Railwaymen's Federation
New Delhi
28-11-13

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 118/2013

सं. ई(एनजी)II/2008/आरआर-1/35

नई दिल्ली, दिनांक: 4 /11/2013

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

**विषय:** विभिन्न संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों/अर्हताओं को रोजगार के प्रयोजन के लिए स्वीकार करना अथवा स्वीकार न करने के बारे में स्पष्टीकरण।

इस मामले पर कि क्या निम्नलिखित संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों/अर्हताओं को रेलों में रोजगार के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए या नहीं, इस मंत्रालय में विचार किया गया है:-

| क्रम सं. | बोर्ड ऑफ स्कूल |
|---|---|
| (i) | नवभारत शिक्षा परिषद, उड़ीसा/भारत; |
| (ii) | बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली; |
| (iii) | सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, नई दिल्ली |
| (iv) | दिल्ली बोर्ड ऑफ सीनियर सेकण्डरी एजुकेशन एवं |
| (v) | बोर्ड ऑफ सीनियर सेकण्डरी एजुकेशन, मध्य भारत, ग्वालियर (म.प्र). |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 07/09/2012 के का.ज्ञा. सं. एफ.2-35/2011-स्कूल-3 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06/03/2013 के का.ज्ञा. सं. 14021/1/2012-एस्ट.डी में अंतर्विष्ट अनुदेशों के आलोक में इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि, चूंकि, ये संस्थान, सीओबीएसई बोर्ड (काउन्सिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया) के सदस्य नहीं है, इसलिए, उपर्युक्त संस्थानों से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र/ अर्हताएं, रेलों में रोजगार के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं है।

कृपया पावती दें।

{इससे पूर्व रेलवे के दिनांक 11/6/2010, 11/11/2010 एवं 30/3/2012 के पत्र सं. ई.182/0/वॉल.।। तथा दिनांक 21/05/2013 के पत्र सं. ई.182/0/वॉल.।।।; उत्तर मध्य रेलवे के दिनांक 27/7/2011 के पत्र सं. 797-ई/एनसीआर/सीजी/08/मिस.; पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दिनांक 11/13.06.2013 एवं 16/08/2013 के पत्र सं. ई/227/स्पोर्टस/टीएस/2013; उत्तर पश्चिम रेलवे के दिनांक 07/06/012, 24/09/2012 एवं 09/07/2013 के पत्र सं. 740-ई/आरएंडटी/सीजीए/जेयू/क्लेरिफिकेशन/2012/1 और दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 06/09/2013 के पत्र सं. पी/स्टोर्स/बीपी/सीबी का निपटान हो जाता है}

(हर्षा दास)
निदेशक स्थापना (एन)-II
रेलवे बोर्ड

....2/-